"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 171 ] रायपुर, बुधवार, दिनांक 11 जुलाई 2012—आषाढ़ 20, शक 1934

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2012

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-7/2012/1-7 .— चूंकि दिनांक 28-29 जून, 2012 को जिला बीजापुर के थाना बासागुड़ा के ग्राम सिलगेर और जिला सुकमा के थाना जगरगुंडा के ग्राम क्रमशः सारकेगुड़ा एवं चिमली पेंटा में सुरक्षा बलों की मुठभेड़ की घटनाएं हुई हैं, एवं चूंकि राज्य सरकार की यह राय है कि इस घटना से संबंधित सार्वजनिक महत्व के निम्नलिखित विषयों की जांच के प्रयोजन के लिए एक जांच आयोग नियुक्त करना आवश्यक है, अर्थात् :-

(1) क्या 28-29 जून, 2012 की रात्रि में जिला बीजापुर के थाना बासागुड़ा के ग्राम सिलगेर और जिला सुकमा के थाना जगरगुंडा के ग्राम क्रमशः सारकेगुड़ा एवं चिमली पेंटा में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई थी ?

(2) उक्त घटना कब और कैसे घटित हुई थी ?

(3) क्या उक्त घटना में सुरक्षा बलों या नक्सलियों अथवा उनके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति मृत या घायल हुआ था ?

(4) वे कौन सी परिस्थितियाँ थी, जिनके आधार पर सुरक्षा बलों द्वारा उक्त रात्रि को अभियान करना पड़ा ?

(5) क्या आपरेशन (अभियान) प्रारंभ करने के पूर्व सुरक्षा बलों द्वारा कोई पूर्वोपाय किये गये अथवा सावधानी बरती गई ?

(6) वे कौन सी परिस्थितियाँ थीं, जिनके कारण सुरक्षा बलों को फायरिंग करनी पड़ी ? क्या फायरिंग से बचा जा सकता था ?

(7) भविष्य के लिए सुझाव.

2. अतः जांच आयोग अधिनियम 1952 (1952 का सं. 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उपरोक्त लोक महत्व की विशेष जांच हेतु एक जांच आयोग नियुक्त करता है, जिसके एकल सदस्य, माननीय न्यायमूर्ति व्ही. के. अग्रवाल, भूतपूर्व अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ उपभोक्ता संरक्षण आयोग एवं अध्यक्ष, म. प्र. शुल्क नियामक अपीलीय न्यायाधिकरण, भोपाल होंगे. आयोग अपनी जांच इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से यथासम्भव 03 माह के भीतर पूरी करेगा तथा शासन को रिपोर्ट सौंपेगा.

3. जांच के दौरान तकनीकी विषय/बिन्दुओं पर आयोग किसी संस्था विशेषज्ञ की सहायता ले सकेगा. आयोग की सचिवालयीन एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में आदेश पृथक से प्रसारित होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2012.